

मत्स्य निदेशालय

झारखण्ड, राँची

सं0सं0-म0नि0 IV/लेखा/283/2020-21/ 20 (आ0) /मत्स्य/राँची/दिनांक 14.03.2022

प्रेषक,

एच0 एन0 द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
राँची, गुमला एवं पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
जिला मत्स्य पदाधिकारी, कोडरमा एवं सिमडेगा।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कुल मो0 6,33,900/-रु0 मात्र (छः लाख तैतीस हजार नौ सौ) रूपये मात्र के निधि का अतिरिक्त आवंटन।

प्रसंग : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं0 सं0 20 आ0 (वि0) दिनांक 07.04.2021 एवं ऑनलाईन आवंटन सं0 15, मत्स्य निदेशालय आवंटन सं0 01 (आ0) दिनांक 07.04.2021, आवंटन सं0 02 (आ0) दिनांक 09.06.2021, आवंटन सं0 11(आ0) दिनांक 26.10.2021 तथा आवंटन सं0 17(आ0) दिनांक 11.02.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं0 20 आ0 (वि0) दिनांक 07.04.2021 एवं ऑनलाईन आवंटन सं0 15 के आलोक में मो0 6,33,900/-रु0 मात्र (छः लाख तैतीस हजार नौ सौ) रूपये मात्र संलग्न विवरणी अनुरूप निधि का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।

2. इस आवंटन के विरुद्ध वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0, दिनांक 15/07/03 में निहित प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाये।

3. (क) वित्त प्रभाग के परिपत्र सं0-224/बजट/दिनांक 30.03.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में निधि का आवंटन किया जाता है।

(ख) झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन किया जाय।

4. आबंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह के 15 तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ टेजरी एम0आई0एस0 से अवश्य मिलान (रिकान्सिलेशन) करा लिया जाए।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित हो, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष 21-22 के प्रत्येक महिने का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना सम्बन्धित DDO का दायित्व होगा।
6. असमायोजित अग्रिम, एल0पी0सी0/कार्यालय से हो तो उसका ससमय स्थापित प्रक्रिया के तहत नियमित समायोजन होना चाहिए।
7. आबंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाय। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।
8. सामग्री का क्रय जेम अथवा स्थापित प्रक्रिया का पालन कर ही किया जाये। पूर्व स्टोर/स्टॉक पंजी का तथा स्टॉक का भौतिक सत्यापन अवश्य किया जाय। **Dead/Useless** सामग्री का निष्पादन स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय।
9. (क) सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मियों के दावों का नियमानुसार निष्पादन समयबद्ध हो ताकि न्यायालय/दण्डात्मक शुल्क नहीं देना हो अन्यथा इसकी वसूली दोषी पदाधिकारी/कर्मियों से होगी।
- (ख) सभी कार्यरत कर्मियों के सेवापुस्त का सत्यापन कर, अवकाश लेखा/अन्य प्रविष्टि अद्यतन करें तथा उसका हस्ताक्षर भी प्राप्त करें।
10. यात्रा भत्ता का भुगतान वित्त विभाग/प्रभाग के पत्रांक-3336/वि0 दिनांक-17.09.2014 एवं 737/वि0 दिनांक 27.03.2018 के अनुरूप किया जायेगा। इस पर ज्यादा सावधानी बरती जाय। नियमित रूप से राशि व्यय किया जाय। इसमें किसी भी गड़बड़ी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा स्वीकृति पदाधिकारी दोषी होंगे।
11. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखना। अंकेक्षण के दौरान प्राप्त अंकेक्षण आपत्तियों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे **Drop** कराया जाए, साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में इस मद के व्यय में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु0-ऑनलाईन आवंटन

विश्वासभाजन

(एच0 एन0 द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची

सं0सं0-म0नि0 IV/लेखा/283/2020-21/20(8110)/मत्स्य/राँची/दिनांक 14.03.2022

प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, (बजट) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, राँची /उप मत्स्य निदेशक एवं संयुक्त मत्स्य निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत निधि का अतिरिक्त आवंटन

क्र०	स्थापना का नाम	वेतन	देशीय यात्रा व्यय	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मत	कुल आवंटन
	विपत्र कोड	53S240500001 01000101	53S24050000 101000213	53S240500001 01000442	
1	2	3	4	5	6
1	जि० म० पदा०-सह-मु० कार्य० पदा०, राँची	0	0	40000	40000
2	जि० म० पदा०-सह-मु० कार्य० पदा०, गुमला	100000	0	0	100000
3	जि० म० पदा०-सह-मु० कार्य० पदा०, पूर्वी सिंहभूम	0	78900	0	78900
4	जि० म० पदा०, कोडरमा	300000	0	40000	340000
5	जि० म० पदा०,सिमडेगा	0	0	75000	75000
	कुल आवंटन	400000	78900	155000	633900

कुल आवंटन (शब्दों में)-मो० छः लाख तैतीस हजार नौ सौ रु० मात्र ।

20(आप)
14/3/2022

14/3/22
(एच० एन० द्विवेदी)
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Divisio

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - IV/283/21-22/V/20

दिनांक - 14-Mar-2022

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 24050000101000101 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	87275	GMLFSH001 DEEPAK KUMAR SINGH D.F.O.CUM C.E.OFFICER 01 - वेतन	100,000.00 रुपये एक लाख
2	S 53 24050000101000101 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	87277	KDMFSH001 SHAMBHU PRASAD YADAV DIST.FISH.OFF.KDM. 01 - वेतन	300,000.00 रुपये तीन लाख
3	S 53 24050000101000213 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 02 - यात्रा भत्ते Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	87280	JSRFSH001 PERISETTI BHARGAVI DIST.FISHERY OFFICER JSR. 13 - देशीय यात्रा व्यय	78,900.00 रुपये अठहत्तर हजार नौ सौ

योग: 478,900.00

क्रमिक योग:

रुपये चार लाख अठहत्तर हजार नौ सौ

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 53 24050000101000442 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 04 - मोटरगाड़ियां / ईंधन Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	87281	DRNFSH005 ARUP KUMAR CHOUDHARY DIST.FISH.OFF.CUM EX.OFFICER 42 - मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मत	40,000.00 रुपये चालीस हजार
5	S 53 24050000101000442 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 04 - मोटरगाड़ियां / ईंधन Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	87282	KDMFSH001 SHAMBHU PRASAD YADAV DIST.FISH.OFF.KDM. 42 - मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मत	40,000.00 रुपये चालीस हजार
6	S 53 24050000101000442 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 04 - मोटरगाड़ियां / ईंधन Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	87283	SDGFSH001 KUSUM LATA DIST. FISHERIE OFFICER SIMDEGA 42 - मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मत	75,000.00 रुपये पचहत्तर हजार

योग:

क्रमिक योग:

रुपये छः लाख तैतीस हजार नौ सौ

155,000.00

633,900.00

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मौग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 001 - निदेशन तथा प्रशासन & 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S24050000101000101	53S24050000101000213	53S24050000101000442	Total
					केतन	देशीय यात्रा व्यय	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gumla	GMLFSH001	Deepak Kumar Singh	D.F.O.Cum C.E.Officer	₹1,00,000.00 (87275)	₹0.00	₹0.00	₹1,00,000.00
2	Koderma	KDMFSH001	Shambhu Prasad Yadav	Dist.Fish.Off.Kdm.	₹3,00,000.00 (87277)	₹0.00	₹40,000.00 (87282)	₹3,40,000.00
3	Jamshedpur	JSRFSH001	Periseti Bhargavi	Dist.Fishery Officer Jsr.	₹0.00	₹78,900.00 (87280)	₹0.00	₹78,900.00
4	Doranda	DRNFSH005	Arup Kumar Choudhary	Dist.Fish.Off.Cum Ex.Officer	₹0.00	₹0.00	₹40,000.00 (87281)	₹40,000.00
5	Simdega	SDGFSH001	Kusum Lata	Dist. Fisherie Officer Simdega	₹0.00	₹0.00	₹75,000.00 (87283)	₹75,000.00

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

कुल आवंटित राशि :- ₹6,33,900.00 (N% ykIk rStrhl gtrkij uks lks) रुपये मात्र ।

(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES

20 (आप)
14/03/2022